

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, .....  
तहसील-तिजारा, जिला-अलवर

क्रमांक.....

दिनांक.....

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 (NO F.15(1)FD/RULES/2017 JAIPUR DATED 30-10-2017 & 09-12-2017 के अनुसार श्री ..... को राज्य सेवा में 30 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के द्वारा उनके आदेश क्रमांक –शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/एसीपी/वो-8/2021 दिनांक-24.08.2021 के द्वारा दिनांक-06.09.2019 से 30 वर्षीय एसीपी स्वीकृत करने पर नियमानुसार इनका वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

| दिनांक 06-09-2019 को वेतन |           |       | एसीपी स्वीकृति पर देय वेतन |          |           |       | Next Increment Date |
|---------------------------|-----------|-------|----------------------------|----------|-----------|-------|---------------------|
| Pay Band                  | Pay Level | Pay   | दिनांक                     | Pay Band | Pay Level | Pay   |                     |
| PB-2                      | L-12      | 67000 | 06-09-2019                 | PB-2     | L-13      | 69200 | 01-07-2020          |
|                           |           |       | 01-07-2020                 | PB-2     | L-13      | 71300 | 01-07-2021          |
|                           |           |       | 01-07-2021                 | PB-2     | L-13      | 73400 | 01-07-2022          |

इन्हें दिनांक 06.09.2019 से 31.10.2021 तक वेतन एरियर आहरण तथा माह नवम्बर 2021 से नियमित वेतन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रतिलिपि-

1. सम्बन्धित श्री .....।
2. निजी पंजिका सम्बन्धित कार्मिक।
3. लेखा शाखा।
4. कार्यालय प्रति।